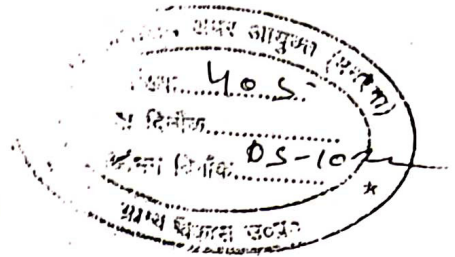


प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।



ग्राम्य विकास अनुभाग-७

लखनऊ : दिनांक ०५ अक्टूबर, २०१२

विषय-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कार्यों का सोशल आडिट किये जाने के हेतु प्रशिक्षण एवं कैलेण्डर जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत तथा कन्वर्जेंस विभाग (लाइन विभाग) द्वारा किये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण(सोशल आडिट) किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-१३९०/अडतीस-७-२०१२-२०० नरेगा/२००९, दिनांक ०४.०७.२०१२ द्वारा "उत्तर प्रदेश (मनरेगा) सोशल ऑडिट संगठन" की स्थापना एक स्वतंत्र इकाई(सोसायटी) के रूप में की गई है। यह सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-१८६० के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है, जिसका कार्यालय वर्तमान में नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास, उ०प्र० में स्थित है। सोसाइटी के सुचारु रूप से संचालन हेतु सोशल आडिट निदेशालय का गठन किया गया है, जिसमें निदेशक के पद पर श्री शंकर सिंह, पी०सी०एस० तैनात हैं।

२- मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण(सोशल आडिट) किये जाने हेतु सोशल आडिट निदेशालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की छःमाही में, ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम एक-एक सोशल आडिट कराये जाने हेतु वार्षिक कैलेण्डर को अंतिम रूप दिया जाना है। इस हेतु जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जायेगा। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१२-१३ की प्रथम छःमाही बीत चुकी है, अतः इस वित्तीय वर्ष द्वितीय छःमाही (अक्टूबर, २०१२ से मार्च, २०१३) के लिए सोशल आडिट कैलेण्डर अविलम्ब जारी किया जाना है। अतः जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वर्ष २०१२-१३ की द्वितीय छःमाही के लिए प्रस्तावित कैलेण्डर दिनांक १२ अक्टूबर, २०१२ तक तैयार कर निदेशक, सोशल आडिट, उ०प्र० को ई-मेल socialauditup@yahoo.in पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

३- सोशल आडिट कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सोशल आडिट टीम के सदस्यों को जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स द्वारा सम्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस हेतु सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स को १७ अक्टूबर से १० नवम्बर २०१२ के बीच मास्टर ट्रेनर के रूप में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतः पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त तथा अब तक अप्रशिक्षित कोआर्डिनेटर्स का विवरण निम्न प्रारूप पर

उपरोक्त ई-गेल पते पर दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

जनपद का नाम-..... दिनांक.....

क्र०	स्वीकृत पद		तैनाती की संख्या		प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों के नाम			
	जनपद को-आर्डिनेटर	ब्लॉक को-आर्डिनेटर	जनपद को-आर्डिनेटर	ब्लॉक को-आर्डिनेटर	NIRD हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कोआर्डिनेटर्स के नाम	SIRD लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कोआर्डिनेटर्स के नाम	अन्य (प्रशिक्षण का नाम उल्लिखित करते हुए) कोआर्डिनेटर्स के नाम	कोआर्डिनेटर्स के नाम जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है

उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही निदेशक, सोशल ऑडिट द्वारा तत्परता से की जाएगी।

4- सोशल कोआर्डिनेटर के ब्लॉक स्तर पर रिक्त पदों को भरने हेतु जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा विशेष अभियान चलाकर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, ताकि इन्हें भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर सोशल ऑडिट कार्य को निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समयान्तर्गत से कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराया जा सके।

5- मनरेगा योजनान्तर्गत कराए जा रहे कार्यों के सोशल ऑडिट की प्रक्रिया, प्रशिक्षण आदि के संबंध में यदि किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो निदेशक, सोशल ऑडिट के मोबाइल नं०- 9453535353 तथा कार्यालय दूरभाष- 0522-6713418 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

कृपया तदनुसार अविलम्ब अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय



(राजीव कुमार)

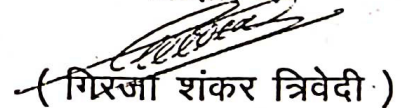
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 2217 (1)/अड्डीस-7-2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से



(गिरिजा शंकर त्रिवेदी)

संयुक्त सचिव।